न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी– बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या : 01/2018

अपीलांट		रेस्पोंडेंट
श्री दलपत सिंह पुरोहित, व0लि0 रेकर्ड शाखा, कार्यालय जिला कलेक्टर पाली।	**बनाम**	जिला कलक्टर पाली

विभागीयं अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.9.2017 जो श्रीमान् जिला कलेक्टर पाली द्वारा सीसीए 17 के अन्तर्गत पारित कर अपीलान्ट एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थिति : 1. अपीलांट स्वंय उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः 8.5.2018

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट पूर्व में वरिष्ठ लिपिक, भू अभिलेख शाखा के पद पर कार्यरत रहने के दौरान जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित किया गया।

आरोप संख्या – 1– इस कार्यालय के आदेश दिनांक एफ (1)(4)संस्था/2011/973 दिनांक 17.7.2013 के अनुसार आपका स्थानान्तरण रेकर्ड शाखा मे कर इस कार्यालय के आदेश संख्या 66 दिनांक 3.9.2013 द्वारा आपके स्थान पर पदस्थापित श्री मूलसिंह, कनिष्ठ लिपिक को इस शाखा का समस्त चार्ज देकर अग्रिम उपस्थिति रेकर्ड शाखा मेदेने हेतु आदेशित किया गया था।

इनके द्वारा चार्ज नही देने पर पुनः इस कार्यालय के आदेश कमांक 1844 दिनांक 21.4.2014 व 2117 दिनांक 7.5.2014 को चार्ज देने हेतु

आदेशित करने के बावजुद इनके द्वारा चार्ज दिनांक 23.5.2014 तक कार्यभार हस्तान्तरित नही कर कार्यालय आदेश की अवहेलना की गई।

आरोप संख्या –2– पटवार परीक्षा 2013 मे परीक्षा मे लगे अधिकारियों/कैन्द्राधीक्षकों/सहायक केन्द्राधीक्षकों/वीक्षकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भुगतान हेतु रूप्ये 483620/– जरिये ए.सी बिल नम्बर 20 दिनांक 26.6.2013 के द्वारा आहरित किये गये। परीक्षा मे लगे संबंधित अधिकारियों/कर्मिकों को बाद भुगतान तत्कालीन परीक्षा सहायक लेखाधिकारी (जिला परिषद) के पत्रांक 37 दिनांक 24.7.2013 के अनुसार आप हिसाब के साथ रूप्ये नगद 98820/– (अक्षरे अठानवे हजा आठ सौ बीस) को रोकड प्राप्त कर हिसाब प्राप्त किया। जो हिसाब आपने कार्यालय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत नही किया

उक्त पटवार परीक्षा 2013 का राशि आहरण के तीन माह के भीतर–भीतर डी.सी बिल भिजवाया जाना आवश्यक है। डी.सी बिल के संबंध मे राजस्व मंडल के पत्रांक 6434–61 दिनांक 4.12.2013, 7248–72 दिनांक 2. 1.2014, 9252–64 दिनांक 10.3.2014 तथा अतिरिक्त निबन्धक (वित एवं लेखा) का अ.शा पत्र दिनांक 4.3.2014 प्राप्त होने के बावजुद भी इनके द्वारा हिसाब नही भेजा गया ना ही उक्त पत्र प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

श्री दलपसिंह ने पटवार परीक्षा का हिसाब 24.7.2013 को रोकड राशि 98820/– रूप्ये प्राप्त किया व राजस्व मण्डल से पत्र व अ.शात्र पत्र व कोषाधिकारी से भी पत्र व अ.शा पत्र ए.सी बिल बाबत प्राप्त हुए। उक्त हिसाब की राशि 98820/– रूप्ये लम्बे समय 9 माह तक अपने पास रखकर राजकीय रकम का स्वयं ने उपयोग किया। इस प्रकार इनके द्वारा राजकीय राशि के दुरूपयोग व पत्रों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही करने हेतु कर्तव्य पालन मे उदासीनता की है। इस राशि का ब्याज इनसे
वसूलनीय है।

आरोप संख्या–3– रोकड बुक पृष्ठ संख्या 82 के अनुसार राजकीय राशि रूप्ये 22600/– भी श्री दलपतसिंह ने अपने पास रखी तथा चार्जे दे वक्त श्री मूल सिंह कनिष्ठ लिपक को सम्भलवाई, जबकि यह राशि राजकोष मे जमा की जानी थी। इनका उक्त कृत्य गबन की श्रेणी मे आता है। जिसके लिए यह कर्मचारी दोषी है।

आरोप संख्या–4– इनके द्वारा पटवार परीक्षा मे प्रिटिंग कार्य फर्म ऋषभ आफसेट के बिल नम्बर 54,58 दिनांक 9.6.2013 रूप्ये 9800/– व 4900/– एवं अदिति इंटरप्राईजेज के बिल नम्बर 57 व 72 दिनांक 14.6.2013 राशि रूप्ये 9725/– व 4955/– रूप्ये उक्त बिलों का भुगतान बकाया था। आप द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष बिल प्रस्तुत नही किये गये ना ही भुगतान की कार्यवाही की गई। जबकि पटवारी परीक्षा की अवशेष राशि सरेण्डर की गई। जिसके लिए यह दोषी है।

अपीलान्ट ने उक्त आरोपों का जवाब प्रस्तुत कर आरोपों कारणों सहित अस्वीकार किया इसके बावजूद आरोपों को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रमाणित मानकर अपीलान्ट को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उपरोक्त आरोपों के संबंध मे अपीलान्ट ने निवेदन किया कि उनका स्थानान्तरण भू.अ. शाखा कलेक्ट्रेट, पाली से रकर्ड शाखा कार्यालय मे होने पर दिनांक 3.9.2013 को मुझे भू.अ. शाखा से कार्यमुक्त किया गया। तत्समय चुनाव कार्य चल रहा था, भू.अ. शाखा की मुख्य बिल्डिंग का मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य चल रहा था, जिसके दौरान कार्यालय का रेकर्ड अव्यवस्थित दो अलगल अलग भवनों मे चल रहा था। इसी अवधि के दौरान प्रार्थी की पुत्री की शादी दिसम्बर 2013 मे नियत थी जिस कारण अपीलान्ट बहुत ही व्यस्त रहा था।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों के कारण कार्यालय का चार्ज मेरे द्वारा श्री मूल सिंह, कनिष्ट लिपिक को संभालने मे देरी हुयी है तथा इन्ही परिस्थितियों के कारण डी.सी बिल तैयार कर प्रदत्त करने मे विलम्ब हुआ था। इस स्तर पर अपीलान्ट की गलती रही है जिसे अपीलान्ट स्वीकार करता है तथा यह भी परिवचन देता हूँ कि भविष्य मे इस प्रकार की गलती की पुनरावती नही करूंगा।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को कन्सीडर नहीं कर अपीलान्ट को दोषी मानते हुए एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दे दिया जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की राजकीय सेवा में भविष्यगामी परिणाम डालने वाला सिद्ध हो रहा है जिसके कारण अपीलान्ट को दोहरा दण्ड भुगतना पडेगा।

यह कि अपीलान्ट ने अपने सेवाकाल में सभी प्रकार के कार्य ईमानदारी एवं तत्परता से सही समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपने पदीय दायित्वों के अधीन रहकर सम्पादित किये है तथा अपीलान्ट को पूर्व में किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है।

अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि अपीलान्ट की सेवा निवृति मे अल्प समय शेष है, साथ ही अपीलान्ट की पदौन्तति भी उच्च पद पर शीघ्र होने वाली है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की गलती को क्षमा कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे । मुझ अपीलान्ट की गलती अवश्य रही है जिसे अपीलान्ट स्वीकार करता है तथा यह भी परिवचन देता हूँ कि भविष्य मे इस प्रकार की गलती की पुनरावती नही करूंगा।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि अपीलान्ट ने स्वंय स्वीकार किया है कि उन पर लगाये गये आरोप सही है तथा जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश मे कोई त्रुटि नही है। इस संबंध मे अपीलान्ट ने अनुरोध किया है कि उनकी सेवा निवृति मे अल्प समय शेष है, साथ ही अपीलान्ट की पदौन्तति भी उच्च पद पर शीघ्र होने वाली है। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार कर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की गलती को क्षमा कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे ।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए तथा अपीलान्ट की पूर्व की सेवाओं एवं शेष अल्प सेवा अवधि को मध्यनजर रखते हुए एवं उनके प्रति नरम रूख अपनाते हुए उन्हे आर्थिक रूप से दण्डित नही कर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.9.2017 मे अंशिक संशोधन कर अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के स्थान पर उन्हे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 8.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर